

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-३ द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती मवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—



क्रमांक/२५७०/ ४८७ /आउशि/ समन्वय/2019
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २४/०५/२०१९

1. कुल संचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :-

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ के रीकाणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

अवर संचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५/ २०१७/ ३८-२ अटल
नगर रायपुर, दिनांक 24.05.2019

—00—

उपरोक्त विवरान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा
छत्तीसगढ़ राज्य के रीकाणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं।
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गंजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृ. क्रमांक/२५७०/ ४८७ /आउशि/ समन्वय/2019
प्रतिलिपि :-

1. अवर संचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर/
अविकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

(डॉ. किरण गंजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Government Mahatma Gandhi P.G.
College Khariala, Dist. Raigarh (C.G.)

- २ -

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)



पुस्तकालय, एण्ड कोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-260294, E-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

प्रृष्ठांक ५५४ / अका. / 2019

बिलासपुर दिनांक 25/05/2019

प्रतिलिपि:-

- 1/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2019-20, जो विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in में अपलोड है, मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

२५/५/१९
कुलसचिव

PRINCIPAL
Government Manohar Gandhi P.G.
College Kharsa, Distt. Raigarh (C.G.)

अध्ययन की शुरुआती तकी सामग्री में उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदृश के छात्रों को पूरे प्रवेश में प्रवेश की मात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्राक्पान रथशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किंतु एक विषय की इनातकोत्तर पुरोक्ति उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की इनातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में अप्लाईकर रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुलेप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संरथा में इसका विस्तृत निम्नानुसार दीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर परिवर्तन रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीता कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परस्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर परिवर्तन रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उच्चाधार (वर्टेकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निश्चित व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सेनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उच्चाधार आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निश्चित श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्रीदबार अधिक ऊक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पसीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथापत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सर्वग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम

No. 1/2022 Date 10/01/2022

वर्तमान विद्यालय में प्रदर्शन प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आदानप्रदान किया जावेगा।

गणतन्त्र विद्यालय में पदस्थ प्राच्याधिक सुपरिवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध भारत एसी संस्था ने अपना शोध कार्य कानून रख सकते हैं जहाँ से उनका शोध नियन्त्रण वेतन अधिकारी नियम था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रधान उर्द्धवार्ता विद्यालय के प्राचार्य अधिकारी करेग।

16. प्रवेश -

- 16.1 बाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानवृद्धाकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अधव वन्नांतरण विद्यालयोंवश वाद किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश के नियम करने का पूर्ण पारित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी सम्मिलित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपारेष्ठा रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सब के दीर्घन कड़िका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में ऐसा विद्यार्थी का प्रवेश नियस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सब के दीर्घन विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश नियस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अम्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मानदण्डक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मानदण्डन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मानदण्डन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अधिकारी लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मानदण्डक सिद्धांतों गे उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मानदण्डक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/नियन्त्रण/संलग्न का सापूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।


PRINCIPAL
 Government Mahatma Gandhi P.G.
 College, Deogarh, Dist. Deogarh (C.G.)

